राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– लेखा–13 / एजी / 2018 / 6710   दिनांक : 28/02/2018

संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,

जोन–अजमेर / जयपुर / जोधपुर / उदयपुर /
बीकानेर / कोटा / भरतपुर।

विषयः–महालेखाकार के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालना तैयार कराने हेतु विभागीय कैम्प आयोजन के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि गत राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की बैठक दिनांक 22–12–2017 में महालेखाकार कार्यालय के दिनांक 30–11–2017 को 583 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 1415 बकाया आक्षेपों को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया (A.C.S.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा गंभीरता से लेते हुए शीघ्र निस्तारण हेतु विभागीय शिविर आयोजित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अतः उक्त निर्देशों की पालना में निम्नांकित विवरणानुसार विभागीय शिविर आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

क्र. सं.	जोन कार्यालय का नाम	प्रस्तावित दिनांक
1.	बीकानेर	दिनांक 02, 03, 04–04–2018
2.	जोधपुर	दिनांक 09, 10, 11–04–2018
3.	उदयपुर	दिनांक 25, 26, 27–04–2018
4.	अजमेर	दिनांक 07, 08, 09–05–2018
5.	कोटा	दिनांक 14, 15, 16–05–2018
6.	भरतपुर	दिनांक 23, 24, 25–05–2018
7.	जयपुर	दिनांक 29, 30, 31–05–2018
8.	जयपुर मुख्यालय	दिनांक 04, 05, 06–06–2018

अतः आप अपने अधीनस्थ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सहायक औषधि नियन्त्रक, जिला क्षय रोग निवारण केन्द्र, जिला कुष्ठ रोग अधिकारी को बकाया आक्षेपों की ठोस अनुपालना तैयार करवाने एवं प्रथम दिवस को जोन में पदस्थापित लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी–I से व्यक्तिशः जांच करवाने एवं उनके निर्देशानुसार तथ्यों का समावेश करते हुए संशोधित अनुपालना दूसरे दिवस पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करावें। शिविर के अन्तिम दिवस में निदेशालय के मुख्य लेखाधिकारी / लेखाधिकारी / सहा. लेखाधिकारी द्वारा शिविर में उपस्थित होकर पर्यवेक्षण किया जायेगा।

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– लेखा–13 / एजी / 2018 / 6710   दिनांक : 28/02/2018

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य लेखाधिकारी / लेखाधिकारी / सहा. लेखाधिकारी–I, कार्यालय हाजा।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
3. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
4. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
5. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र।
6. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
7. समस्त सहायक औषधि नियन्त्रक अधिकारी।,
8. समस्त जिला क्षय रोग निवारण केन्द्र।
9. समस्त जिला कुष्ठ रोग अधिकारी।
10. प्रभारी सर्वर रूम, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

D:\Sudhir ji\Letter.doc